2.1 2.1

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत नौडखाल – माला कोटा मोटर मार्ग से सिरासु मोटर मार्ग (13.000 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक जनसख्या वाली बसावट सिरासु (**CC 822100, H-44, Pop. 378**) को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्याः 1935/पी3-14/यू.आर.आर.डी.ए./13 Dated 7/10/13 उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट सिरासु की आबादी 378 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से काश्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नही मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नही हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओ के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में काश्तकारो की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में वन पंचायत भूमि शून्य है0, आरक्षित वन भूमि 3.465 है0, मलवा निस्तराण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.580 है0, नाप भूमि 2.700 है0, सिविल सोयम भूमि 4.545 है0 एवं मलवा निस्तारण हेतु सिविल भूमि 0.951 है0 प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है. वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेशित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 2 को निरस्त कर समरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं0 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 13.000 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 9 मीटर चौड़ाई में आने वाली सिविल सोयम भूमि 4.545 है0, एवं मलवा 0.591 है0 तथा 7 मीटर चौड़ाई मे आरक्षित वन भूमि 3.465 है0, मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.580 है0। प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेशित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

Sey- Attested
PIU
NPCC
PMGSY, DUGADDA
PAURI GARHWAL (U.K.)

वन्य जीव प्रतिपालक
राजाजी टाइगर रिजर्व,
देहरादून।

निदेशक
राजाजी टाइगर रिजर्व
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with CamScanner